

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत—जिला कलक्टर

मुकाम : दौसा

रामकिशोर वगै० बनाम अभिषेक वगै०

किस्म मुकदमा—स्थगन प्रा०पत्र

28
2023

नम्बर— 38 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.5.2023	<p>अधिवक्ता अपीलांटस उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पों० सं० 1 से 8 अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा एक नामा० अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के न्यायालय में पेश की है। रेस्पों० सं 1 से 8 के द्वारा उक्त विवादित भूमि से संबंधित भूमि का विक्रय पत्र अन्य व्यक्ति के पक्ष में दिनांक 17.5.2023 को पंजीयन करा दिया गया है। प्रार्थीगण को उक्त भूमि के विक्रय पत्र का नामान्तरण तस्दीक होने से अपूरणीय क्षति होने की प्रबल संभावना है। अतः प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनवाई की जाकर राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति रखे जाने के आदेश प्रदान करें।</p> <p>राजकीय अधिवक्ता ने बहस में दलील दी कि स्थगन प्रार्थना पत्र से संबंधित भूमि के संबंध में न्यायालय उपखंड अधिकारी दौसा में वाद विचाराधीन है। वाद का निस्तारण होने पर तदनुसार नामान्तरण तस्दीक किया जावेगा। अतः इस न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी नहीं करने एवं स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।</p> <p>हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण व राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 17.2.2019 के द्वारा प्रकरण का निस्तारण किया जाकर विचारण न्यायालय को प्रकरण रिमांड किया गया है जो न्यायालय उपखंड अधिकारी दौसा में विचाराधीन है। पक्षकारान के मध्य विचारण न्यायालय में नियमित वाद विचाराधीन है। हक अधिकार विचारण न्यायालय से तय होने है। जहाँ तक विक्रय पत्र पंजीयन होने का प्रश्न है, प्रार्थीगण उक्त विक्रय पत्र के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र हैं। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण अपील का निस्तारण बाद सुनवाई गुणावगुण के आधार पर किया जावेगा। हम प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य समझते हैं।</p> <p>अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र मूल अपील के संलग्न रहें। प्रार्थना पत्र दर्ज फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। खुले न्यायालय सुनाया गया।</p>	



जिला कलक्टर
दौसा

